# राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

निगरानी संख्या – 2149/2015/आबकारी/बाड़मेर.

अरजन भाई पुत्र श्री घीसा भाई उदरिया,
निवासी गांव पसूड़ा, अंजार जिला कच्छ भुज (गुजरात)
पंजीकृत वाहन स्वामी जी.जे.–12–एयू–8239. .....प्रार्थी.

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये आबकारी आयुक्त, उदयपुर. .....अप्रार्थी.

खण्डपीठ
श्री मदन लाल, सदस्य
श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री उत्तम प्रकाश आमेटा, अभिभाषक .....प्रार्थी की ओर से.

श्री आर. के. अजमेरा,
उप–राजकीय अभिभाषक .....अप्रार्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 19/04/2017

## निर्णय

1. प्रार्थी द्वारा यह निगरानी आबकारी आयुक्त, राजस्थान उदयपुर के आदेश क्रमांक प.29(बी)(212)पीएस/वाहन/आब/2012/154 दिनांक 20.04.2015 के विरूद्ध राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 (जिसे आगे **'आबकारी अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 9(ए) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी श्री अरजन भाई एवं श्री नरपतसिंह का ट्रक पंजीयन संख्या जी.जे.–12–ए.यू.–8239 को अवैध शराब के परिवहन में लिप्त पाये जाने पर दिनांक 16.06.2012 को आबकारी अधिनियम के तहत थानाधिकारी पुलिस थाना पचपदरा जिला बाड़मेर द्वारा अभियोग पंजीकृत कर जब्त किया गया। उक्त ट्रक को मुक्त करने के लिये वाहन के मालिक श्री अरजन भाई पुत्र श्री घीसाभाई ने अधिवक्ता के जरिये दिनांक 10.06.2013 को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया। वाहन छोड़ने के लिये प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के सम्बन्ध में आबकारी आयुक्त द्वारा सुनवाई की तिथि नियत की गयी एवं नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में वाहन स्वामी अरजन भाई एवं नरपत सिंह (जिसे उक्त वाहन का बेचान किया हुआ था) के अभिभाषक श्री विजय सालवी उपस्थित हुए एवं उनकी सुनवाई के पश्चात् आबकारी आयुक्त द्वारा आबकारी अधिनियम की धारा 69(4) के अनुसार मदिरा के अवैध परिवहन में प्रयुक्त वाहन को अधिहरण की कार्यवाही से मुक्ति के लिये जुर्माना राशि अदा करने का विकल्प दिया गया। आबकारी आयुक्त द्वारा

लगातार.....2

सुनवाई के पश्चात् अधिहरण से मुक्ति के लिये वाहन की रिलायंस जनरल इंश्योरेंस की पॉलिसी दिनांक 29.12.2011 में घोषित बाजार मूल्य रूपये 12,85,000/— को आधार मानते हुए जब्त वाहन पर रूपये 11,50,000/— की जुर्माना राशि अदा करने का आदेश दिया गया। यह भी आदेशित किया गया कि जुर्माना राशि अदा नहीं करने की स्थिति में वाहन को अधिहरण से मुक्त नहीं किया जावे तथा वाहन को अधिहरित मानते हुए जिला आबकारी अधिकारी बाड़मेर आबकारी अधिनियम की धारा 69(7) के अन्तर्गत उक्त वाहन को निलाम करने के लिये अधिकृत किया गया।

3. आबकारी आयुक्त के उक्त आदेश दिनांक 20.09.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत निगरानी की सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि आबकारी आयुक्त का आदेश विधि में प्रदत्त प्रक्रिया अनुसार पारित किया हुआ आदेश नहीं है क्योंकि सर्वप्रथम आबकारी आयुक्त द्वारा उक्त वाहन का अधिहरण किये जाने के कोई आदेश पूर्व में नहीं किये गये थे बल्कि प्रार्थी द्वारा वाहन को छुड़वाने हेतु दिये गये प्रार्थना—पत्र को निस्तारित करने के दौरान उक्त आदेश पारित किया गया है जबकि आबकारी आयुक्त को उनके आवेदन पर केवल यह निर्णय लिया जाना था कि वे उनके आवेदन को स्वीकार करते हैं अथवा अस्वीकार करते हैं। विद्वान अभिभाषक ने यह भी कथन किया कि उक्त वाहन की जो इन्श्योरेंस पॉलिसी प्रस्तुत की गयी थी, उसमें रूपये 12,85,000/— का जो बाजार मूल्य दर्शाया गया था वह मूल्य दिनांक 29.12.2011 का था जिसके 4 वर्ष पश्चात् यह आदेश किया गया है एवं इस दौरान यह जब्तशुदा वाहन कार्यालय के कम्पाउण्ड में ही रखा रहा है जो समुचित रखरखाव के अभाव में पूरी तरह से अनुपयोगी स्थिति में आ चुका है। कथन किया कि दिनांक 29.12.2011 से 2015 के बीच वाहन के मूल्य में Depreciation के पश्चात् इसका वर्तमान बाजार मूल्य 5—6 लाख से अधिक नहीं रहता है परन्तु आबकारी आयुक्त द्वारा इस पर 11.50 लाख की जुर्माना राशि आरोपित की है जो बाजार मूल्य के अनुपात में अत्यधिक होने से अनुचित है अतः इसका बाजार मूल्य 5 लाख रूपये मानते हुए इतनी राशि की सीमा तक ही जुर्माना किया जाना चाहिये था क्योंकि आबकारी अधिनियम के प्रावधान अनुसार जुर्माने की राशि वाहन के बाजार मूल्य तक ही हो सकती है।

लगातार.....3

4. विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के अन्त में यह कथन किया कि वे इस मामले में अन्य विधिक तर्क जैसे कि उन्हें सुनवाई का मौका नहीं दिया गया या उनके द्वारा वास्तविक रूप से अवैध शराब परिवहन का कोई गुनाह जानबूझकर नहीं किया गया या उन्हें इस अपराध का कोई ज्ञान नहीं था आदि पर बल दिये बिना केवल जुर्माना राशि को विधिक प्रावधान अनुसार सीमित किये जाने का निवेदन किया।

5. अप्रार्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि प्रार्थी को सुनवाई का पूरा अवसर दिया गया था एवं अवैध शराब का परिवहन किया जाना पूर्णतया प्रमाणित होने पर ही यह अभियोग बनाया गया था ऐसी स्थिति में कोई भी प्रक्रियात्मक त्रुटि किये बिना एवं प्रार्थी को धारा 69 की जुर्माना अदा करने का विकल्प न्यायपूर्ण निर्णय के अधीन दिया गया है अतः जुर्माना राशि को यथावत रखने का अनुरोध किया।

6. उभयपक्ष की बहस सुनने के पश्चात् एवं प्रकरण में आबकारी अधिनियम की धारा 69(4) में जुर्माना अदा करने के विकल्प को स्वीकार करते हुए विधिक प्रावधान अनुसार बाजार मूल्य तक की सीमा का जुर्माना लगाये जाने का जो अनुरोध किया है उस पर विचार किया गया, जिस पर यह पाया कि वाहन की जब्ती दिनांक 16.06.2012 को की गयी थी एवं वाहन की कीमत दिनांक 29.12.2011 की इंश्योरेंस पॉलिसी में रूपये 12,85,000/– दर्शाई गई थी जबकि वर्ष 2015 तक उस वाहन के उपयोग में नहीं रहने से एवं लम्बे समय तक जब्तशुदा होने से उसकी कीमत निश्चित रूप से काफी कम हो जाती है एवं सामान्यतया प्रतिवर्ष मूल्य में ह्रास हो जाता है जिसे आयकर अधिनियम अनुसार भी स्वीकार किया जाता है ऐसी परिस्थिति में वाहन की कीमत में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत का depreciation मानने पर वर्ष 2015 में बाजार मूल्य करीब रूपये 8,43,000/– हो जाता है। ऐसी स्थिति में वाहन के मूल्य के बराबर की राशि रूपये 8,43,000/– का ही जुर्माना आरोपित किया जा सकता है अतः रूपये 8,43,000/– तक की जुर्माना राशि तक की पुष्टि की जाती है।

7. उपरोक्तानुसार प्रार्थी द्वारा निगरानी किये जाने से पूर्व जमा करवाई गई राशि का उक्त देय जुर्माना राशि में समायोजन देते हुए वाहन को अधिहरण से तुरन्त मुक्त किये जाने एवं अवशेष राशि नियमानुसार लौटाये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

8. निर्णय सुनाया गया।

19/4/2017

( के. एल.जैन )
सदस्य

19.4.2017

( मदन लाल )
सदस्य